राजस्थान राज्य

बनाम

सुखपाल सिंह एवं अन्य

16 दिसंबर, 1982

[वाई. वी. चंद्रचूड़, सी.जे. एवं वी. डी. तुलजापुरकर, जे.]

साक्ष्य- साक्ष्य-प्रशंसा- उच्च न्यायालय द्वारा बरी किए जाने के आदेश के विरुद्ध अपील में ।

सात या आठ हथियारबंद डकैत बयाना के एक बैंक में घुस गए, उन्होंने बैंक के कर्मचारियों को आतंकित किया और पीटा, 15253/- रुपये के नोट लूट लिए एवं उसे एक ब्लैक बॉक्स में रखा और लूट का माल एम्बेसडर कार में लेकर भाग गए। डकैती के आधे घंटे के भीतर दर्ज किया गया था और कार को रोकने के लिए वायरलेस संदेश भेजे गए थे। इसके तुरंत बाद , एक एंबेसेडर कार, जिसमें सात लोग बैठे थे और घबराहट में चलाई जा रही थी, बयाना की दिशा से वियर के पास पहुंची और दुर्घटनाग्रस्त हो गई। पुलिस और डी पब्लिक ने कार सवारों को बाहर निकलते ही घेर लिया लेकिन उन्होंने तमंचों से फायरिंग कर भागने की कोशिश की। उनका पीछा किया गया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया , किन्तु इसी बीच गोलीबारी के कारण जनता के कुछ सदस्य घायल हो गए। अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि यह विपक्षी/वउत्तरदाता ही थे जिन्होंने बैंक लूटा एवं कार में भाग गए और उनका पीछा किया गया और गिरफ्तार कर लिया गया। उनमें से प्रत्येक के पास सौ रुपये के सौ नोटों का एक बंडल था। 10/- प्रत्येक; बताया जा रहा है कि कार में मिले ब्लैक बॉक्स में 5000 रुपए के नोट थे। लूटे गए बैंक से संबंधित 6,800 रूपये कार में पाए गए और कुछ उत्तरदाताओं के कब्जे से जिंदा कारतूस और चाकू बरामद किए गए थे। मुकदमे में, उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया कि उन्हें वियर के पास गिरफ्तार किया गया था लेकिन डकैती में किसी भी तरह का हाथ होने से इनकार किया। सत्र न्यायाधीश ने उनकी याचिका खारिज कर दी और उन्हें 395, आई.पी.सी धारा के तहत दोषी ठहराया।

उच्च न्यायालय ने उत्तरदाताओं को तीन आधारों पर बरी कर दिया: (i) उत्तरदाताओं की पहचान के संबंध में सबूत ठोस नहीं थे क्योंकि कुछ गवाह जिन्होंने जेल में डकैतों की पहचान की थी, वे ट्रायल कोर्ट के समक्ष उनकी पहचान करने में विफल रहे थे; (ii) चोरी की गई संपत्ति की बरामदगी के संबंध में सबूत स्वीकार्य नहीं थे क्योंकि रिकवरी मेमो असली नहीं थे , चाकू और कारतूस अदालत के सामने पेश नहीं किए गए थे, और यह कहानी कि प्रत्येक उत्तरदाता के पास रुपये के नोट थे। एक हजार रुपये की रकम छोड़कर भागते समय। ब्लैक बॉक्स में 6,800 असामान्य थी और (iii) यह आरोप कि उत्तरदाता एंबेसेडर कार में भाग गए थे और दुर्घटना के बाद उस कार से बाहर आ गए थे, पुलिस द्वारा जी.डी. में कई कार की गयी कई प्रविष्टियों के अभाव में स्वीकार्य नहीं था।

अपील स्वीकार करते हुए,
निर्धारित किया- कि यदि दोषमुक्ति के विरुद्ध विशेष अनुमति द्वारा अपील में साक्ष्य के दो दृष्टिकोण यथोचित रूप से संभव थे , यह न्यायालय उच्च न्यायालय के साक्ष्यों का मूल्यांकन स्वयं प्रतिस्थापित नहीं करेगी। लेकिन किसी भी परिकल्पना पर उच्च न्यायालय के निष्कर्ष को स्वीकार करना असंभव है। इस तरह की घटना में अदालत के सामने इतने मजबूत और ठोस सबूत होना मुश्किल है।

उस साक्ष्य के आधार पर कोई भी एकमात्र निष्कर्ष यह निकाल सकता है कि आरोप अभियुक्त पर लगाया गया है।

(बी) उच्च न्यायालय का निर्णय अत्यधिक कठिन और अवास्तविक है। जो साक्ष्य निर्विवाद हैं उन्हें संदेह और अनुमान के आधार पर खारिज कर दिया गया है। जिन गवाहों के पास पीसने के लिए कोई कुल्हाड़ी नहीं थी और जिनका अभियुक्तों को झूठे आरोप में फंसाने का कोई व्यक्तिगत उद्देश्य नहीं था, उन पर कमज़ोर कारणों से अविश्वास किया गया है। और आपत्तिजनक लेखों की बरामदगी को अप्राकृतिक और अविश्वसनीय बताकर नजरअंदाज कर दिया गया और उस पर अविश्वास किया गया। विभिन्न अपराधों के अलग-अलग पैटर्न होते हैं और अपराधी अवसर की आवश्यकता के अनुसार अपनी रणनीति में सुधार करते हैं। अभियोजन की कहानी को इस धारणा और आग्रह पर घटनाओं के सामान्य पाठ्यक्रम के साथ फिट नहीं होने के कारण खारिज कर दिया गया है कि वर्तमान प्रकृति के अपराध को उस प्रकार के पैटर्न के अनुरूप होना चाहिए जिसे उच्च न्यायालय ने अपने अनुसार सोचा था।

(i) उच्च न्यायालय ने गवाहों की उत्तरदाताओं की पहचान करने की क्षमता से जुड़ी कमजोरियों को अतिरंजित महत्व दिया और इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया कि उन्हें रंगे हाथों और मौके पर ही गिरफ्तार किया गया था। बैंक में हुई घटना , अपराधियों द्वारा भागने की कोशिश और पुलिस तथा जनता द्वारा उनका पीछा करना, जो कि सबसे स्पष्ट और ठोस सबूतों से साबित हो चुका था, वे सभी कारण और संबंध की एक ही श्रृंखला की कड़ियाँ थीं। एक ही लेन-देन के भाग थे।

(ii) कार से ब्लैक बॉक्स की बरामदगी के संबंध में बयाना के स्टेशन हाउस अधिकारी, जिनसे उच्च न्यायालय ने अदालत के गवाह के रूप में पूछताछ की थी, के साक्ष्य में कोई खामी नहीं थी और उच्च न्यायालय द्वारा इसे अस्वीकार करना उचित नहीं था। उसके सबूत यह दलील कि उत्तरदाताओं की गिरफ्तारी के बाद पुलिस द्वारा आसानी से बक्सा लगाया जा सकता था, पूरी तरह से अनुचित है। कार में स्वेच्छा से बक्सा नहीं छोड़ा गया। जब उत्तरदाताओं को पुलिस और जनता ने घेर लिया तो उनके पास इसे कार में छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सामान्य अनुभव की कसौटी पर जो स्वाभाविक है वह यह है कि चोर भागते समय खुद को बचाने के लिए लूट के बड़े सामानों को छोड़ देते हैं।
(iii) उक्त परिस्थिति में कि पुलिस डायरी में कार का नंबर नहीं बताया जाना, मजबूत साक्ष्यों की दशा में एक सामान्य-सी बात थी।

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 134/1973 राजस्थान उच्च न्यायालय के एस.पी. क्रिमिनल अपील संख्या- 580 एवं 581/1972 में पारित आदेश दिनांकी 13 नवम्बर, 1972 के विरूद्ध विशेष अनुमति द्वारा अपील।

अपीलकर्ता की ओर से बी.डी. शर्मा।

उत्तरदाताओं संख्या- 1 से 4 के लिए डी. मुखर्जी और डॉ. बी.एस. चौहान।

उत्तरदाताओं संख्या- 2 से 3 के लिए आर.के. गर्ग, ए., पांडा और सुनील कुमार जैन।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

द्वारा **चंद्रचूड़ मुख्य न्यायाधीश**,- उत्तरदाताओं को विद्वान सत्र न्यायाधीश, भरतपुर द्वारा दंड संहिता की धारा 395 के तहत दोषी ठहराया गया और तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। 13 नवंबर, 1972 को अपने फैसले से, राजस्थान उच्च न्यायालय ने उस फैसले को रद्द कर दिया और उत्तरदाताओं को दोषमुक्त कर दिया। राजस्थान राज्य ने उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ विशेष अनुमति द्वारा यह अपील दायर की है।

स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर की एक शाखा भरतपुर जिले के बयाना में थी। 17 मार्च 1971 को दोपहर लगभग 1.30 बजे सात या आठ व्यक्तियों ने बैंक को लूट लिया। बैंक के एजेंट जुगल किशोर पालीवाल अपने चैंबर में काम कर रहे थे, जबकि हेड कैशियर भगवान दास गोयल और सहायक कैशियर सुरेश चंद गोयल उस समय कैश केबिन में थे। देशी पिस्तौल, चाकू और हथगोले से लैस लुटेरों ने इन बैंक कर्मचारियों को खड़े होने और हाथ उठाने का आदेश दिया। तीन डकैत एजेंट के कमरे में घुसे, उसकी पिटाई की और सेफ व अलमारियां खोल दीं। उन्हें वहां कोई पैसा नहीं मिला। इसके बाद वे एजेंट को कैश केबिन में ले गए , जहां उन्होंने लोहे के कैश बॉक्स का ढक्कन फाड़ दिया और इससे 15,253 रु. नोट निकाल लिए। उन्होंने पास की मेज पर रखे काले रंग का गोपनीय बक्सा छीन लिया और उस बक्से में रखे कागजात फेंक दिये और पैसे उसमें रख लिए। वे एक नीली एंबेसेडर कार में बैठकर ब्लैक बॉक्स ले गए और चले गए।

घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट हैड कैशियर भगवान दास गोयल द्वारा लगभग आधे घंटे के अन्दर अर्थात दोपहर 2.00 बजे पुलिस थाना बयाना में दर्ज करायी गयी। वहां के पुलिस अधिकारी ने आसपास के पुलिस स्टेशनों और पुलिस चौकियों पर वायरलेस संदेश भेजा। संदेश मिलने पर वियर पुलिस स्टेशन के प्रभारी हेड कांस्टेबल ने सड़क पर कार को रोकने के लिए पुलिस कर्मियों को तैनात किया। इसके तुरंत बाद बयाना की ओर से एक एंबेसेडर कार नंबर डीएलजे 7458 आई, जिसमें सात लोग बैठे थे। घबराहट में कार एक तेल से टकरा गई । एक दुकान के सामने कार बैरल से टकराकर क्षतिग्रस्त हो गयी। कार में बैठे लोगों को कार से बाहर आने के लिए मजबूर किया गया, जहां पर उन्हें पुलिस एवं लोगों द्वारा घेर लिया गया। और के सदस्यों ने घेर लिया गया। आरोपीगण ने अपनी पिस्तौल से गोलीबारी की और फायर की आड़ में भागने की कोशिश की लेकिन पुलिस और जनता ने एक मील से अधिक समय तक उनका पीछा किया और एक बार फिर उन्हें घेरने में सफल रहे। कार में सवार लोगों ने गोलियां चला दीं, जिससे जनता के कुछ सदस्य घायल हो गए। आख़िरकार, उन पर काबू पा लिया गया और उन्हें पकड़ लिया गया। बयाना पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर बाबू लाल मौके पर पहुंचे और प्रतिवादियों को गिरफ्तार कर लिया। जांच के दौरान पता चला कि जिस एम्बेसडर कार का इस्तेमाल उत्तरदाताओं ने किया था, वह घटना से एक दिन पहले नई दिल्ली से चोरी की गयी थी। अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि हमारे सामने विपक्षीगण वही व्यक्ति थे जिन्होंने बैंक लूटा , कार में भाग गए और उनका पीछा किया गया और गिरफ्तार कर लिया गया।

उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया कि उन्हें वियर के पास गिरफ्तार किया गया था लेकिन उन्होंने इस बात से इनकार किया कि बैंक की लूट में उनका कोई हाथ था। उनमें से प्रत्येक ने गिरफ्तारी के समय वियर में अपनी उपस्थिति के संबंध में एक अलग स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया। उन्होंने मुख्य रूप से गिरफ्तारी के स्थान पर उनकी उपस्थिति का कारण दिखाने के लिए चार गवाहों से भी प्रस्तुत किये।

राजस्थान उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले से ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तरदाताओं की ओर से तीन बिंदुओं पर तर्क दिया गया: (1) उत्तरदाताओं की पहचान के संबंध में कोई सबूत नहीं है; (2) उनके कब्जे से चोरी की गई संपत्ति की बरामदगी के संबंध में कोई भरोसेमंद सबूत नहीं है; और (3) यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है कि वे विशेष एम्बेस्डर कार में भाग गए थे और दुर्घटना के बाद कार से बाहर आ गए थे।

उत्तरदाताओं की पहचान के सवाल पर, उच्च न्यायालय ने बैंक के एजेंट जुगल किशोर पालीवाल (पीडब्लू 4), हेड क्लर्क राधे चरण भार्गव (पीडब्लू 5), हेड कैशियर भगवान दास गोयल (पीडब्लू 6) कृषि सहायक. मुरारी लाल (पीडब्लू 7), दफ्तरी राधे श्याम शर्मा (पीडब्लू 8) और अंबा प्रसाद (पीडब्लू 9), और सहायक। कैशियर सुरेश गोयल (पीडब्लू 10), के साक्ष्य को इस आधार पर खारिज कर दिया है कि हालांकि इनमें से कुछ गवाहों ने जेल में डकैतों की पहचान की थी, लेकिन वे ट्रायल कोर्ट के समक्ष

उन्हें पहचानने में विफल रहे थे। ऐसा प्रतीत होता है कि इन गवाहों ने कमिटिंग कोर्ट और ट्रायल कोर्ट के समक्ष कुछ आरोपियों की गलत पहचान की थी। उच्च न्यायालय के अनुसार "एकमात्र अप्रतिरोध्य निष्कर्ष उनके बयानों से जो निष्कर्ष निकाला जा सकता है, गवाहों का पहचान के संबंध में साक्ष्य का ठोस आाधार नहीं है।"

उत्तरदाताओं के कब्जे से चोरी की गई संपत्ति की बरामदगी के सवाल पर अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि प्रत्येक उत्तरदाता 10 रुपये के मुद्रा नोटों का एक बंडल ले जा रहा था। यह भी आरोप लगाया गया है कि एम्बेसडर कार में पड़े ब्लैक बॉक्स में 6,800 रुपये के मूल्य के करेंसी नोट पाए गए। इसके अलावा, कुछ उत्तरदाताओं के कब्जे से जिंदा कारतूस और चाकू भी बरामद होने का आरोप है। उच्च न्यायालय ने इन सभी साक्ष्यों को इस आधार पर खारिज कर दिया है कि रिकवरी मेमो को "असली नहीं कहा जा सकता" और बाद में तैयार किया गया था, कि चाकू और जिंदा कारतूस अदालत के सामने पेश नहीं किए गए थे, यह कहानी कि प्रत्येक उत्तरदाताओं के पास भागते समय 1000 रुपये के मूल्य के करेंसी नोट थे, अप्राकृतिक है और यह संभावना नहीं है कि उत्तरदाता 6800/- रुपये की राशि ब्लैक बॉक्स में छोड़ देंगे और साथ में 1000/- रूपये रखेंगे, मानो अपने ख़िलाफ़ सबूत बनाना हो।

इस आरोप के संबंध में तीसरे प्रश्न पर कि प्रतिवादी एम्बेसडर कार में भाग गए थे और दुर्घटना के बाद उस कार से बाहर आ गए थे, उच्च न्यायालय ने उन सबूतों को खारिज कर दिया है कि प्रतिवादी उस विशेष कार में भाग गए थे। आधार यह है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट से संबंधित पुलिस स्टेशन की जनरल डायरी में प्रवेश प्रदर्शनी डी-40 में कार का नंबर अंकित नहीं था।

यदि साक्ष्य के बारे में दो दृष्टिकोण उचित रूप से संभव होते, तो हम बरी होने के खिलाफ इस अपील में उच्च न्यायालय के साक्ष्य के अपने मूल्यांकन को प्रतिस्थापित नहीं करते। लेकिन, हमारी राय है कि किसी भी परिकल्पना के आधार पर उच्च न्यायालय के इस निष्कर्ष को स्वीकार करना असंभव है कि अभियोजन पक्ष अपना मामला स्थापित करने में विफल रहा है। सम्मान के साथ, हम उच्च न्यायालय के फैसले को बहुत कठिन और अवास्तविक मानते हैं। जो साक्ष्य निर्विवाद हैं, उन्हें उच्च न्यायालय ने संदेह और अनुमान के आधार पर खारिज कर दिया है। जिन गवाहों के पास पीसने के लिए कोई कुल्हाड़ी नहीं थी और जिनका अभियुक्तों को झूठे आरोप में फंसाने का कोई व्यक्तिगत उद्देश्य नहीं था, उन पर कमज़ोर विचारों के आधार पर अविश्वास किया गया है। और आपत्तिजनक लेखों की बरामदगी को अस्वाभाविक और अविश्वसनीय बताकर नजरअंदाज कर दिया गया और उस पर अविश्वास किया गया। विभिन्न अपराधों के अलग-अलग पैटर्न होते हैं और अपराधी अवसर की आवश्यकता के अनुसार अपनी रणनीति में सुधार करते हैं। उच्च न्यायालय ने अभियोजन की कहानी को घटनाओं के सामान्य पाठ्यक्रम के साथ फिट नहीं होने के कारण खारिज कर दिया है, क्योंकि उपरोक्त घटनाक्रम उच्च न्यायालय के विचारों से मेल नहीं खाता था।

प्रथम प्रश्न अर्थात् पहचान के प्रश्न पर, उच्च न्यायालय ने गवाहों की उत्तरदाताओं की पहचान करने की क्षमता से जुड़ी कमजोरियों को अतिरंजित महत्व दिया। इसे नज़रअंदाज कर दिया गया, और जब उस संबंध में एक तर्क दिया गया तो इसे खारिज कर दिया गया, कि उत्तरदाताओं को रंगे हाथों और, बोलचाल के तरीके में गिरफ्तार कर लिया गया था। अभियोजन पक्ष द्वारा कथित इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि की गई बैंक के परिसर में घटना हुई थी। और यह मानने के लिए किसी मजबूत अनुनय की आवश्यकता नहीं है कि बैंक लूटने के बाद, अपराधी, चाहे वे कोई भी हों, भागने की कोशिश करेंगे। घटना के आधे घंटे के भीतर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करना, आसपास के पुलिस स्टेशनों और पुलिस चौकियों पर तुरंत वायरलेस संदेश भेजना, किसी विशेष विवरण वाली कार को रोकने के लिए सड़क पर पुलिस गार्ड की तैनाती करना। कार किस दुर्घटना का शिकार हुई, कार से छह या सात व्यक्तियों का निकलना, पुलिस और जनता ने उनका पीछा किया, उन व्यक्तियों द्वारा चलाई गई गोलियाँ, जनता के सदस्यों द्वारा

की गई पिटाई। यह तथ्य कि अंततः उन पर ज़बरदस्ती की गई, उन्हें पकड़ा गया और गिरफ़्तार किया गया, ये सभी मामले सबसे स्पष्ट और ठोस सबूतों से साबित होते हैं। उत्तरदाता वे व्यक्ति हैं जो दुर्घटना के बाद कार से निकले थे और वे वही व्यक्ति हैं, जिनको जनता द्वारा दी गई गंभीर पिटाई के निशान।हैं। हम यह समझने में असमर्थ हैं कि, इन परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय यह कैसे मान सकता है कि चूंकि आरोपियों को मौके पर गिरफ्तार नहीं किया गया था, इसलिए उनकी पहचान से संबंधित साक्ष्य को महत्व देना चाहिए। जो घटना बैंक में घटी, अपराधियों द्वारा भागने का प्रयास किया गया और पुलिस तथा जनता द्वारा उनका पीछा करना, कार्य-कारण की एक ही श्रृंखला की कड़ियाँ हैं। वे एक ही लेन-देन के हिस्से हैं। इसलिए, यह एक ऐसा मामला है जिसमें अपराधियों को अपराध स्थल के पास रंगे हाथों पकड़ा गया था जब वे भागने की कोशिश कर रहे थे। भागते समय उन्होंने गोलीबारी की और उन लोगों को घायल कर दिया जो बहादुरी से उन्हें घेरने की कोशिश कर रहे थे लेकिन अंततः, पुलिस और जनता उन पर हावी हो गई। अब कोई और प्रश्न नहीं बचा है, लेकिन चूंकि उच्च न्यायालय ने मामले के कुछ अन्य पहलुओं को बहुत महत्व दिया है, इसलिए हमें उन पर ध्यान देना चाहिए।

इसके अतिरिक्त यह भी महत्तवपूर्ण तथ्य है कि जिस कार से विपक्षीगण / अभियुक्तगण निकले थे, उक्त कार से 6800/- रूपये रखा। फर्द बरामदगी पर प्रदर्श पी-22 डाला गया। नोटों के बण्डल पर बैंक ऑफ बीकानेर एवं जयपुर बयाना शाखा की चिट लगी हुयी थी। बॉक्स में बैंक से संबंधित कुछ दस्तावेज़ भी थे, जिसमें हेड क्लर्क राधे श्याम भार्गव (पीडब्लू 5) की पासबुक भी शामिल थी। अभियोजन पक्ष द्वारा जांचे गए कुछ गवाह मुकर गए, जिससे केवल यह पता चलता है कि डकैतों का एक अराजक समूह लोगों के मन में कितना आतंक पैदा कर सकता है। लेकिन बयाना के थाना प्रभारी बाबू लाल, जिनकी उच्च न्यायालय ने अदालत के गवाह के रूप में जांच की थी, के साक्ष्य से पता चलता है कि पैसे और अन्य वस्तुओं से भरा ब्लैक बॉक्स एंबेसेडर कार से जब्त किया गया था। उच्च न्यायालय ने इस साक्ष्य को इस व्यापक और निराधार टिप्पणी के साथ खारिज कर दिया कि रिकवरी मेमो बाद में तैयार किया गया था। हाई कोर्ट का मानना कि 'यह आसानी से विश्वास करने योग्य नहीं है कि आरोपी कार में पड़े बक्से में 6,800 रुपये छोड़ देंगे और प्रत्येक एक हजार रुपये लेकर भाग जाएगा।' यह तथ्य कि रु. प्रत्येक उत्तरदाता के व्यक्ति पर 1,000 पाया गया, इसे स्वीकार भी किया जा सकता है और नहीं भी। लेकिन कार से ब्लैक बॉक्स की बरामदगी के संबंध में बाबू लाल के साक्ष्य में कोई खामी नहीं है। श्री आर..के. गर्ग, जो उत्तरदाताओं की ओर से पेश हुए, ने आग्रह किया कि उत्तरदाताओं की गिरफ्तारी के बाद पुलिस द्वारा बॉक्स को आसानी से लगाया जा सकता था। यह निवेदन पूर्णतः अनुचित है। नोटों से भरा बक्सा, जो लूट का हिस्सा था, स्वेच्छा से कार में नहीं छोड़ा गया। उत्तरदाताओं के पास इसे उस कार में छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था जिसमें वे यात्रा कर रहे थे, जब कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई और वे पुलिस और जनता से घिरे हुए थे। सामान्य अनुभव के परीक्षण से जो स्वाभाविक है वह यह है कि अन्य व्यक्तियों द्वारा पीछा करने पर अभियुक्तगण /आरोपीगण द्वारा लूट का एक बड़ा सामान चोरों द्वारा वहीं छोड़ दिया जाएगा जहां वह पड़ा है।

उच्च न्यायालय ने इस प्रश्न पर प्रचुरता से विचार किया है कि क्या प्रथम सूचना रिपोर्ट में पहले एम्बेस्डर कार का नंबर बताया गया था। तहरीरकर्ता गोयल के द्वारा कार का नंबर पुलिस को बताया भी हो सकता है और नहीं भी। किन्तु कितने मजबूत साक्ष्य के उपलब्ध होने की स्थिति में उपरोक्त तथ्य मामूली तथ्य के समान है। यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि उत्तरदाता एम्बेसडर कार में भाग निकले एफ.आई.आर., प्रदर्श पी-1 में उल्लेखित है। वास्तविकता में एफ.आई.आर. में भी उल्लेख किया गया था कि एम्बेस्डर कार का नंबर DLJ 7458 था लेकिन हाई कोर्ट ने इसे मामूली माना, क्योंकि प्रविष्टि, प्रदर्शनी डी-40 एफ.आई.आर. से संबंधित पुलिस स्टेशन की जनरल डायरी में अंकित नहीं था। उच्च न्यायालय द्वारा निकाला गया निष्कर्ष कि एफ.आई.आर. बाद में तैयार किया किया गया उचित नहीं है। प्रविष्टि डी-40 आख़िरकार एक सारांश है और सारांश को संपूर्ण बनाया नहीं जा सकता है अन्यथा वे सारांश नहीं रह जायेंगे।

इस तरह की घटना में हमारे सामने जितने मजबूत और पुख्ता सबूत मौजूद हैं, उनका होना मुश्किल है। उस साक्ष्य के आधार पर कोई भी एकमात्र निष्कर्ष यह निकाल सकता है कि आरोप अभियुक्त पर लगाया गया है। तदनुसार,' हम अपील स्वीकार करते हैं तथा उच्च न्यायालय के फैसले को खारिज करते हैं और विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 395 के तहत उत्तरदाताओं के खिलाफ दर्ज दोषसिद्धि के आदेश को बहाल करते हैं। विद्वान न्यायाधीश ने प्रत्येक उत्तरदाता को तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। हाई कोर्ट का फैसला एक दशक पुराना हो चुका है. (हम आभारी हैं कि हमें अभी तक उनके रजत जयंती वर्ष में मामलों का सामना नहीं करना पड़ा है)। अभियुक्तगण कारावास का एक बड़ा भाग भुगतने के बाद जमानत पर हैं। हम मालूम है कि उनमें से कुछ पशु चिकित्सक या सहायक के रूप में काम नहीं कर रहे हैं और बच्चों के साथ विवाहित पुरुषों के रूप में घर बसा चुके हैं। इन कारकों को ध्यान में रखते हुए, हम प्रत्येक उत्तरदाता को उस अवधि के लिए कठोर कारावास की सजा देते हैं जो वे पहले ही काट चुके हैं। हालाँकि, हम उनमें से प्रत्येक पर तीन हजार रुपये का जुर्माना लगाते हैं, जिसे उन्हें आज से तीन महीने के भीतर भुगतान करना होगा। ऐसा भुगतान न करने पर, प्रत्येक उत्तरदाता को छह महीने की अवधि के लिए कठोर कारावास से गुजरना होगा।

अपील स्वीकार की गयी।

Translator Officer- Ravi kumar sagar
Civil Judge S.D./FTC., ACJM,
Mainpuri